संदर्भ. आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/43/02/2024 — 22 फरवरी, 2024

Ref. IRDAI/INT/ORD/MISC/43/02/2024 — 22nd February, 2024

आदेश
ORDER

कान्फियान्स इंटरनेशनल रीइन्श्योरेन्स ब्रोकर्स एल.एल.सी., लाबुआन, मलेशिया
के मामले में
आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(1) के अधीन
आदेश
Under Section 14(1) of IRDA Act, 1999
In the matter of
Confiance International Reinsurance Brokers L.L.C., Labuan, Malaysia

---

निम्नलिखित के आधार पर / Based on:

(i) कारण बताओ नोटिस (यहाँ इस आदेश में इसके बाद `एससीएन' के रूप में उल्लिखित) दिनांक 27 दिसंबर, 2021;
Show Cause Notice (hereinafter referred to as 'SCN') dated 27th December, 2021;

(ii) उक्त एससीएन के लिए मेसर्स कान्फियान्स इंटरनेशनल रीइन्श्योरेन्स ब्रोकर्स एल.एल.सी. (इस आदेश में इसके बाद `कान्फियान्स' के रूप में उल्लिखित) का उत्तर दिनांक 18 जनवरी, 2022;
Reply of M/s Confiance International Reinsurance Brokers L.L.C (hereinafter referred to as 'Confiance') dated 18th January, 2022 to the SCN;

(iii) 12 अप्रैल, 2022 को आभासी वैयक्तिक सुनवाई के दौरान कान्फियान्स के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण;
Submissions made by Confiance during virtual personal hearing on 12th April, 2022;

(iv) कान्फियान्स के प्रस्तुतीकरणों पर अपने पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2023 के अनुसार मेसर्स यूनिसन इन्श्यूरेन्स ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि. (इस आदेश में इसके बाद `यूनिसन' के रूप में उल्लिखित) की टिप्पणियाँ।
Comments of M/s Unison Insurance Broking Services Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as 'Unison') vide their letter dated 11th January, 2023 on the submissions of Confiance.

पृष्ठभूमि / Background:

1. यूनिसन के माध्यम से अपने फसल बीमा जोखिम की पुनर्बीमा व्यवस्था के संबंध में मेसर्स टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (इस आदेश में इसके बाद `टाटा-एआईजी' के रूप में उल्लिखित) से एक शिकायत दिनांक 21 दिसंबर, 2018 प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि कान्फियान्स और मेसर्स ग्लोब मास्टर कन्सल्टन्ट्स,

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000 Website: www.irdai.gov.in

दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि कान्फियान्स और मेसर्स ग्लोब मास्टर कन्सल्टन्ट्स, जयपुर, भारत (इस आदेश में इसके बाद `जीएमसी' के रूप में उल्लिखित) टाटा-एआईजी के फ़सल बीमा जोखिम के पुनर्बीमा का स्थानन विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के पास न करने में और यूनिसन को जाली पुनर्बीमा पर्चियों का निर्गम करने में संबद्ध थे।

A complaint dated 21st December, 2018 was received from M/s TATA-AIG General Insurance Company Ltd. (hereinafter referred to as 'TATA-AIG') in respect of arrangement of reinsurance of its crop insurance risk through Unison. Based on the complaint and documents, it was found that Confiance and M/s Globe Master Consultants, Jaipur, India (hereinafter referred to as 'GMC') were involved in non-placement of reinsurance of crop insurance risk of TATA-AIG with the foreign reinsurers and issuance of forged reinsurance slips to Unison.

2. शिकायत और अभिलेखबद्ध दस्तावेजों की जाँच करने पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद `प्राधिकरण' के रूप में उल्लिखित) ने कान्फियान्स और जीएमसी के विरुद्ध एक आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2020 जारी किया था।

On examination of the contents of complaint and documents on record, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as "the Authority") had issued an order dated 8th January, 2020 against Confiance and GMC.

3. प्राधिकरण ने उपर्युक्त आदेश के अनुसार, भारतीय बीमाकर्ताओं और उनके विदेश स्थित कार्यालयों, भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और उनके विदेश स्थित कार्यालयों, भारत में स्थित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं तथा भारतीय बीमा मध्यवर्तियों को कान्फियान्स के साथ किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त न रहने के लिए निदेश जारी किये। श्री स्टीवेन चेट्टी, कान्फियान्स के एमडी, श्री मुकेश रानवान (जीएमसी के निदेशक) और श्री सचिन अग्रवाल (जीएमसी के निदेशक) पर भी भारत में कोई भी बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करने से रोक लगाई गई।

The Authority, vide the said order, issued directions to Indian insurers and its offices overseas, Indian reinsurers and its offices overseas, foreign reinsurance branches in India and Indian insurance intermediaries not to engage in any business activity with Confiance. Mr. Steven Chetty, MD of Confiance, Mr. Mukesh Ranwan (director of GMC) and Mr. Sachin Agarwal (director of GMC) were also barred from doing any insurance/reinsurance business in India.

4. कान्फियान्स और श्री स्टीवेन चेट्टी ने उपर्युक्त आदेश को चुनौती देते हुए और उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ क्योंकि वह अधिकार-क्षेत्र के बिना पारित किया गया है और प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों से बाहर है, माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष एक अपील फाइल की। यह भी प्रस्तुतीकरण किया गया कि उपर्युक्त आदेश के निर्गम से पहले कान्फियान्स को कोई नोटिस नहीं दी गई है और अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तथा इसलिए वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह

अपील की गई कि उक्त धोखाधड़ी में उनकी कोई संबद्धता नहीं थी और उन्होंने पुनर्बीमा बाजार के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है।

Confiance and Mr. Steven Chetty filed an appeal before the Hon'ble Securities Appellate Tribunal (SAT) challenging the said order with prayer that the order may be set aside as it was passed without jurisdiction and beyond the powers conferred upon the Authority. It was also submitted that Confiance was not given any notice or opportunity of being heard before the issuance of said order and the order was, therefore, in breach of the principles of natural justice. It was appealed that that they had no involvement in the fraud and had not betrayed the trust of the reinsurance market.

5. माननीय एसएटी ने आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 के अनुसार माना कि अपील अनुरक्षणीय है क्योंकि कान्फियान्स और श्री स्टीवेन चेट्टी को सुनवाई का अवसर न देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया गया है। माननीय एसएटी ने आगे यह भी धारणा व्यक्त की कि विधि के अनुसार कान्फियान्स और श्री स्टीवेन चेट्टी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरण के लिए अवसर खुला है।

Hon'ble SAT, vide order dated 7th October, 2021, held that the appeal is maintainable and allowed the appeal as the principles of natural justice was not followed by giving opportunity of hearing to Confiance and Mr. Steven Chetty. Hon'ble SAT further held that it would be open to the Authority to proceed against Confiance and Mr. Steven Chetty in accordance with law.

आरोप / Charge:

6. उपर्युक्त माननीय एसएटी के आदेश का अनुवर्तन करते हुए, प्राधिकरण ने कान्फियान्स को कारण बताने के लिए एक एससीएन दिनांक 27 दिसंबर, 2021 जारी किया कि बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन बनाये गये विनियमों और/या नियमों के साथ पठित रूप में उनके संगत उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित के लिए उपयुक्त कार्यवाही/निर्देशन क्यों नहीं प्रारंभ किया जाना चाहिए:

In deference to the above Hon'ble SAT order, the Authority issued an SCN dated 27th December, 2021 to Confiance to show cause as to why appropriate proceedings/directions should not be initiated in terms of the relevant provisions of the Insurance Act, 1938, the IRDA Act 1999 read with the Regulations and/or rules framed there under for:

क. समुचित सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य न करना;

a. Not acting with due care and diligence;

ख. पुनर्बीमा को लागू करने के बाद बीमाकर्ता को कवर का पुष्टीकरण न करना तथा संबंधित पुनर्बीमा स्वीकृति और स्थानन पर्चियाँ प्रस्तुत न करना;

b. Not confirming cover to the insurer after effecting re-insurance and not submitting relevant reinsurance acceptance and placement slips;

ग. निधियों का तत्परतापूर्वक विप्रेषण सुनिश्चित न करना;

c. Not ensuring prompt remittance of funds;

घ. बीमाकर्ता को बाजार में प्रवेश करने से पहले प्रयोग करने के लिए पुनर्बीमा स्थानन पर्ची की एक सही और संपूर्ण प्रति बीमाकर्ता को उपलब्ध न कराना;

d. Not providing to the insurer a true and complete copy of the reinsurance placement slip to be used before entering the market;

ङ. बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थानन पर्ची की सत्य प्रतिलिपि उस पर शर्तें, पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पंक्ति उद्धृत करते हुए प्रस्तुत न करना;

e. Not furnishing to the insurer/reinsurer a true copy of the placement slip signed by the lead reinsurer quoting terms, indicating thereon, the signed line of the reinsurer;

च. असद्भावपूर्ण उद्देश्यों के साथ कार्य करना तथा बीमा बाजार के विश्वास को भंग

f. Acting with malafide intentions and betraying the trust of the insurance market.

कान्फियान्स के प्रस्तुतीकरण / Confiance's submissions:

7. कान्फियान्स ने उक्त एससीएन के लिए पत्र दिनांक 18 जनवरी 2022 के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कान्फियान्स ने उक्त कारण बताओ नोटिस में लगाये गये आरोपों से इनकार किया तथा इस विषय में एक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया।
Confiance responded to the SCN, vide letter dated 18th January, 2022, wherein Confiance denied the charge made in the show cause notice and requested the Authority for a personal hearing opportunity in the matter.

8. एससीएन के लिए कान्फियान्स का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:
The response of Confiance to the SCN is as follows:

क. कान्फियान्स परिस्थितियों का शिकार है क्योंकि उसने विश्वासभंग करने के लिए कोई भी भूल-चूक का कार्य जान-बूझकर नहीं किया है। इस बात का खंडन किया जाता है कि कान्फियान्स के कारण टाटा-एआईजी के लिए लगभग रु.113 करोड़ की वित्तीय क्षति हुई है। वास्तव में, माननीय एसएटी, मुंबई के समक्ष टाटा-एआईजी द्वारा फाइल किये गये उत्तर से स्पष्ट है कि यह टाटा-एआईजी का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके लिए कान्फियान्स उनकी हानियों की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

a. Confiance is a victim of the circumstances as it has not done any act of omission or commission deliberately to betray trust. It is denied that Confiance has caused financial damage of approximately Rs. 113 crores to TATA-AIG. In fact, from the reply filed by TATA-AIG before the Hon'ble SAT, Mumbai, it is not at all the case of TATA-AIG that Confiance is liable to make good their losses.

ख. कान्फियान्स ने भारतीय बीमा व्यवसाय के लिए व्यावसायिक विकास समर्थन हेतु अपने क्षेत्रीय परामर्शदाता/प्रतिनिधि के रूप में जीएमसी को 15 जनवरी 2018 से प्रभावी तौर पर नियुक्त किया।

b. Confiance appointed GMC effective from 15th January, 2018, as its Regional Consultant/ Representative for business development support for Indian Insurance Business.

ग. अप्रैल 2018 को या उसके आसपास जीएमसी कान्फियान्स के पास राजस्थान के समूचे राज्य के लिए फ़सल परियोजना हेतु बीमा प्रस्ताव लाया। संभावित बीमाकर्ता जिसके लिए पुनर्बीमा समर्थन की अपेक्षा की गई थी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी (इस आदेश में इसके बाद `श्रीराम' के रूप में उल्लिखित) थी।

c. On or about April 2018, GMC brought to Confiance, insurance proposal for crop project for the entire state of Rajasthan. The potential Insurer for which reinsurance support sought was Shriram General Insurance Company (hereinafter referred to as "Shriram").

घ. कान्फियान्स ने इस प्रस्ताव के लिए समर्थन एक अन्य दलाल अर्थात् लायड्स ब्रोकर, एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के माध्यम से गंभीर प्रयास किया, जो फिर लिबर्टी स्पेशल्टी का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. उक्त बीमा प्रस्ताव के लिए समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। इस बात की सूचना जीएमसी को 6 जून 2018 को दी गई थी। तदनुसार इस फाइल को बंद किया गया था।

d. Confiance made sincere attempt for obtaining support for this proposal through another broker namely Lloyds Broker, NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd., who in turn was trying to get support of Liberty Specialty. NDI Insurance & Re-insurance Brokers Ltd. could not secure support for the insurance proposal. The same was informed to GMC on 6th June, 2018. This file was closed accordingly.

ङ. कान्फियान्स ने श्रीराम को अपने पुनर्बीमा दलाल मेसर्स भारत रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. (इस आदेश में इसके बाद `भारतरी' के रूप में उल्लिखित) के माध्यम से एक हस्ताक्षरित पर्ची जारी की थी, परंतु लिबर्टी स्पेशल्टी द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया अथवा वह इससे आबद्ध नहीं हुई, क्योंकि संभावित अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता उक्त जोखिम का समर्थन करने में असमर्थ था। अतः कान्फियान्स द्वारा जारी की गई पर्चियाँ विधिमान्य रूप में नहीं रहीं और श्रीराम के द्वारा स्वीकार नहीं की गईं। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के लिए जोखिम और समर्थन की पुष्टि करने के लिए पुनर्बीमाकर्ता के हस्ताक्षर/समर्थन आवश्यक होते हैं। यह बात जीएमसी के द्वारा कान्फियान्स को संबोधित दिनांक 6 जून 2018 के ई-मेल से स्पष्ट है।

e. Confiance had issued a signed slip to Shriram through their Reinsurance brokers, M/s Bharat Re-Insurance Brokers Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "BharatRe"), but not endorsed or bound by Liberty Specialty, as the potential lead Reinsurer was not able to support the risk. Therefore, the slips issued by Confiance, does not stand valid and were not accepted by Shriram. Further, the Insurance companies requires signatures / endorsement of the Reinsurer to confirm the risk and support. The same

is clear from the email dated 6th June, 2018, addressed by GMC to Confiance and GMC is well aware of the same.

च. जीएमसी ने एक नई पूछताछ के साथ दिनांक 12 जून 2018 के ई-मेल के अनुसार कान्फियान्स से यह कहते हुए संपर्क किया कि टाटा-एआईजी के लिए पुनर्बीमा समर्थन देने के लिए यूनिसन के रूप में जाने जानेवाले एक दलाल के माध्यम से एक और अवसर उपलब्ध है।

f. GMC vide their email dated 12th June, 2018 approached Confiance with a new enquiry stating that there was another opportunity for providing reinsurance support for TATA-AIG through a Broker known as Unison.

छ. कान्फियान्स ने 13 जून, 2018 को उक्त प्रस्ताव के लिए टाटा-एआईजी फ़सल बीमा योजना हेतु पुनर्बीमा समर्थन देने के लिए एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. से समर्थन की अपेक्षा की। बाजारों की खोज एक महीने तक करने के बाद कान्फियान्स किसी भी पुनर्बीमा संस्था से समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। जीएमसी को इसकी सूचना 13 जुलाई, 2018 को दी गई।

g. Confiance on 13th June, 2018, sought support for the proposal from NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd. for providing reinsurance support for TATA-AIG crop insurance scheme. After a month of exploring markets, Confiance could not get support from any Reinsurance entities. The same was informed to GMC on 13th July, 2018.

ज. इस बीच, जीएमसी ने कान्फियान्स को सूचित किया कि बेस्ट मेरिडियन इंश्योरेंस (इस आदेश में इसके बाद `बीएमसी' के रूप में उल्लिखित) और टोक्यो मरीन किल्न (इस आदेश में इसके बाद `टीएमके' के रूप में उल्लिखित) से यूनिसन समर्थन प्राप्त कर सकेगा। आगे कान्फियान्स को यह भी सूचित किया गया कि यूनिसन उक्त व्यवसाय कान्फियान्स के माध्यम से संचालित करना चाहता है।

h. In the meantime, GMC informed Confiance that Unison would be able to obtain support from Best Meridian Insurance (hereinafter referred to as 'BMC') and Tokyo Marine Kiln (hereinafter referred to as 'TMK'). It was further informed to Confiance that Unison wanted to channel the business through Confiance.

झ. जीएमसी ने ई-मेल दिनांक 6 जुलाई, 2018 के द्वारा टाटा-एआईजी को विकल्पी (फैकल्टेटिव) समर्थन के लिए पुनर्बीमा पर्ची कान्फियान्स के पत्र-शीर्ष (लेटर-हेड) पर पुनः प्रस्तुत करने के लिए कान्फियान्स को अग्रेषित की। इस बात पर ध्यान देना उपयुक्त होगा कि कान्फियान्स बीएमआई या टीएमके के साथ सीधे व्यवहार नहीं कर रहा था। समझौते के अनुसार, यूनिसन और जीएमसी को बीएमआई और टीएमके से समर्थन प्राप्त करना चाहिए था। कान्फियान्स को जीएमसी से एक और ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि संलग्न पर्चियों पर यूनिसन द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं तथा हमसे अनुरोध किया गया कि उनपर हस्ताक्षर करके उन्हें लौटा दें। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उपर्युक्त ई-मेल में यह उल्लेख किया गया था कि टाटा-एआईजी को यूनिसन अपनी स्वयं की पर्ची जारी करेगा।

i. GMC vide an email dated 6th July, 2018 forwarded the reinsurance slip for Facultative support to TATA-AIG to Confiance for resubmitting it on the letter head of Confiance. It is pertinent to note that, Confiance was not directly dealing with BMI or TMK. As per the understanding, Unison and GMC were to obtain support from BMI and TMK. Confiance received another e-mail from GMC wherein it was stated that the attached slips are signed by Unison and requested us to sign and return. It is pertinent to mention here that in the said email it was mentioned that Unison would issue their own slip to TATA-AIG.

ञ. कान्फियान्स के व्यापक अनुभव के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बीमा और पुनर्बीमा के क्षेत्र में दोनों बीएमआई और टीएमके फ़सल बीमा का अंकन नहीं करते। तथापि, एकमात्र तौर पर जीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर कि बीएमआई और टीएमके से समर्थन यूनिसन प्राप्त करेगा, कान्फियान्स ने हस्ताक्षरित, परंतु अ-बाध्यकारी पर्चियाँ जारी कीं।

j. BMI and TMK both do not write crop insurance, as per the vast experience of Confiance, in the field of insurance and reinsurance globally. However, solely on the basis of the representation of GMC that Unison would obtain support from BMI and TMK, Confiance issued the signed but non-binding slips.

ट. कान्फियान्स ने दिनांक 9 जुलाई, 2018 के अपने ई-मेल के द्वारा चिंताएँ व्यक्त कीं तथा पुनर्बीमा के स्थानन के लिए जीएमसी और यूनिसन द्वारा अपनाई गई भिन्न प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया। चूँकि कान्फियान्स ने पूर्व में इसी प्रकार के पुनर्बीमा स्थाननों के संबंध में व्यवहार किया था, अतः सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि कान्फियान्स हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई पर्ची यूनिसन को भेजता तथा वे पुनः संबंधित अध्यर्पक/बीमाकर्ता को एक "बैक टू बैक कवर" पर अपने कागज पर अपनी स्वयं की पर्ची जारी करते।

k. Confiance, vide its email dated 9th July, 2018 raised concerns and questioned the different process adopted by GMC and Unison for placement of reinsurance. As Confiance had earlier dealt with similar reinsurance placements, the normal practice would be that Confiance send the signed and sealed slip to Unison and they in turn issue their own slip on their paper on a "Back to Back Cover" to the concerned Cedant/Insurer.

ठ. तथापि, विश्वास, सद्भाव तथा जीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर कि बीएमआई और टीएमके से पुनर्बीमा समर्थन यूनिसन प्राप्त करेगा, कान्फियान्स ने अ-बाध्यकारी पुनर्बीमा पर्चियाँ जीएमसी को अग्रेषित कीं जो पुनर्बीमाकर्ताओं के द्वारा समर्थित नहीं (अन-इण्डार्स्ड) थीं।

l. However, in trust, good faith and on the basis of representation of GMC that Unison will obtain reinsurance support from BMI and TMK, Confiance signed and forwarded the non-binding reinsurance slips to GMC which were unendorsed by Reinsurers.

ड. जबकि उक्त बीएमआई अ-बाध्यकारी पर्ची का उपयोग कान्फियान्स के कागज पर किया गया, अन्य एआरबी/टीएमके अ-बाध्यकारी पर्ची कान्फियान्स के कागज पर भी नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से निरूपित करता है कि यूनिसन ने झूठे आश्वासन दिये थे कि वे बीएमआई और टीएमके से आवश्यक समर्थन प्राप्त करेंगे तथा वे उक्त व्यवसाय को कान्फियान्स के माध्यम से संचालित करना चाहते थे।

m. Whilst the BMI unbinding slip was used on Confiance's paper, the other ARB/TMK unbinding slip was not even on Confiance's paper. This clearly reflects that Unison had given false assurances that they would obtain necessary support from BMI and TMK and wanted to channel the business through Confiance.

ढ. पुनर्बीमा उद्योग में यह सामान्य व्यवहार है, कि पुनर्बीमा पर्चियों पर सर्वप्रथम दलाल के द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं और तब पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा उनका समर्थन (इंडार्समेंट)/उन पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाते हैं। केवल पुनर्बीमाकर्ता का समर्थन/प्रति हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद ही पुनर्बीमा पर्चियाँ दलाल को अग्रेषित की जाती हैं।

n. It is the general practice in the reinsurance industry, that reinsurance slips are first signed by the broker and then endorsed/counter signed by the reinsurer. Reinsurance slips would be forwarded to the broker only after obtaining the endorsement/counter signature of the reinsurer.

ण. यद्यपि कान्फियान्स ने पुनर्बीमा पर्ची अग्रेषित की थी, तथापि वह अत्यंत सतर्कता के साथ लंदन के एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के पास पुनर्बीमा प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही था।

o. Although, Confiance had forwarded the reinsurance slip, it was still in the process of securing reinsurance with NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd. of London, out of abundant caution.

त. 13 जुलाई 2018 को एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. द्वारा कान्फियान्स को सूचित किया गया था कि टाटा-एआईजी को पुनर्बीमा समर्थन नहीं दिया जा सकता और एनडीआई इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. से प्राप्त ई-मेल अग्रेषित करने के द्वारा कान्फियान्स ने इसे जीएमसी को विधिवत् सूचित किया।

p. On 13th July, 2018, it was communicated by NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd. to Confiance that reinsurance support to TATA-AIG cannot be provided and Confiance duly informed the same to GMC by forwarding an email received from NDI Insurance & Reinsurance Brokers Ltd.

थ. 20 सितंबर, 2018 को जीएमसी ने यूनिसन द्वारा कान्फियान्स को संबोधित एक ई-मेल कान्फियान्स को अग्रेषित किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यूनिसन ने विकल्पी (फैकल्टेटिव) व्यवस्था के लिए टाटा-एआईजी से पहला भुगतान प्राप्त किया है। उपर्युक्त ई-मेल के अनुसार, विप्रेषण के लिए अग्रसर होने के लिए बीजक/नामे नोट का साझा करने हेतु यूनिसन ने जीएमसी से अनुरोध किया।

q. On 20th September, 2018, GMC forwarded an email addressed by Unison to Confiance, wherein it was mentioned that Unison had received the first

payment from TATA-AIG for the facultative arrangement. Vide the said email, Unison requested GMC to share invoice/debit note to proceed for the remittance.

द. चूँकि कान्फियान्स ने पूर्व में एकपक्षीय तौर पर हस्ताक्षरित पुनर्बीमा पर्चियाँ जीएमसी को अग्रेषित की थीं, जिसे फिर उन्हें यूनिसन को बीएमआई और टीएमके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के लिए अग्रेषित करना चाहिए था, अतः कान्फियान्स ने सद्भाव से विश्वास किया कि जीएमसी और यूनिसन ने अपने स्तर पर लेनदेन का अनुपालन कर दिया है, जब प्रीमियम का संवितरण टाटा-एआईजी के स्तर से किया जा चुका था।

r. Since Confiance had earlier forwarded the unilaterally signed re-insurance slips to GMC who in turn was to forward the same to Unison to be countersigned by BMI and TMK, Confiance believed in good faith that GMC and Unison have complied with their end of the transaction especially when premium disbursement had taken place from the end of TATA-AIG.

ध. श्री स्टीवेन चेट्टी, कान्फियान्स के प्रबंध निदेशक ने जीएमसी को एक ई-मेल यह बताते हुए संबोधित किया कि क्रेडिट नोट जारी करने के लिए यूनिसन से अनुरोध किया जाए, जो कान्फियान्स के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तदुपरांत, यूनिसन द्वारा कान्फियान्स को 155,985.31 अमेरिकी डालर की राशि का अंतरण किया गया।

s. Mr. Steven Chetty, Managing Director of Confiance, addressed an email to GMC stating that Unison be requested to issue credit note, which shall be signed by Confiance. Thereafter, an amount of USD 155,985.31 was transferred to Confiance by Unison.

न. यद्यपि भुगतान का विप्रेषण किया गया था, तथापि जीएमसी से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद बीएमआई और टीएमके द्वारा विधिवत् समर्थित/हस्ताक्षरित और मुहर लगी पुनर्बीमा पर्चियों की प्रतियाँ कान्फियान्स को नहीं भेजी गई थीं। यूनिसन के साथ कान्फियान्स का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था और यूनिसन के साथ केवल जीएमसी के माध्यम से ही संपर्क रखा जा रहा था।

t. Although payment was remitted, copy of duly endorsed/signed and stamped reinsurance slips by BMI and TMK were not provided to Confiance despite repeated requests to GMC. Confiance did not have any direct contact with Unison and was communicating with Unison only through GMC.

प. 23 अक्टूबर, 2018 को कान्फियान्स को यूनिसन से टाटा-एआईजी विकल्पी (फैकल्टेटिव) फसल बीमा प्रस्ताव के उसी लेनदेन के लिए 837,000 अमेरिकी डालर की एक और राशि प्राप्त हुई। दूसरा भुगतान प्राप्त होने पर, कान्फियान्स ने जीएमसी से पुनर्बीमाकर्ता द्वारा समर्थन (इंडार्समेंट) के संबंध में जानना चाहा। जीएमसी ने उत्तर में यद्यपि उक्त लेनदेन के बारे में आश्वस्त किया, तथापि वह विश्वास उत्पन्न नहीं कर रहा था, अतः कान्फियान्स ने जीएमसी के कार्य पर संदेह करना प्रारंभ किया। कान्फियान्स ने 837,000 अमेरिकी डालर के भुगतान के संबंध में कोई क्रेडिट नोट भी जारी नहीं किया

था। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि 837,000 अमेरिकी डालर की राशि का अंतरण कान्फियान्स के खाते में उनकी जानकारी के बिना और क्रेडिट नोट भी जारी किये बिना किया गया था, जैसाकि कान्फियान्स ने इस प्रकार भुगतान के पहले अंश को स्वीकार करते समय किया था। यूनिसन से प्राप्त राशियों के दो भाग कान्फियान्स की खाता-बहियों में न तो प्रीमियम के लिए प्राप्त और न ही दलाली के लिए प्राप्त राशि के रूप में माने गये।

u. On 23rd October, 2018, Confiance received another amount of USD 837,000 for the same transaction of TATA-AIG Facultative Crop Insurance Proposal from Unison. On receipt of the second payment, Confiance enquired with GMC regarding the endorsement by reinsurer. GMC in reply though assured about the transaction, was not inspiring confidence, hence Confiance started suspecting the action of GMC. Confiance had not even issued any credit note in respect of the payment of USD 837,000. It is worthwhile to mention that an amount of USD 837,000 was transferred to Confiance' account without their knowledge and without even issuing the Credit Note as Confiance did while accepting the first tranche of payment. The two tranches of amounts received from Unison were neither treated as amount received towards premium or towards the brokerage in books of account of Confiance.

फ. 20 नवंबर, 2018 को श्री स्टीवेन चेट्टी को यूनिसन द्वारा संबोधित एक ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें कान्फियान्स को सूचित किया गया कि बीएमआई ने टाटा-एआईजी को लिखा कि कान्फियान्स द्वारा जारी की गई पर्ची एक कपटपूर्ण पर्ची है और वे जोखिम पर नहीं हैं। यह ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा कि कान्फियान्स ने कभी टाटा-एआईजी को कोई पर्चियाँ जारी नहीं की हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उपर्युक्त मेल प्राप्त होते ही कान्फियान्स ने समझ लिया कि जीएमसी/यूनिसन ने यूनिसन से पुष्टीकरण होने पर पुनर्बीमाकर्ताओं अर्थात् बीएमआई और टीएमके के विधिवत् समर्थन (इंडार्समेंट) के बाद पुनर्बीमा पर्चियाँ कभी अग्रेषित नहीं की थीं। कान्फियान्स ने 1,047,942.45 अमेरिकी डालर का संपूर्ण भुगतान यूनिसन को विप्रेषित किया।

v. On 20th November, 2018, Mr. Steven Chetty received an email addressed by Unison wherein Confiance were informed that BMI had written to TATA-AIG that slip issued by Confiance is a fraudulent slip and that they are not on risk. It is pertinent to note here that Confiance had never issued any slips to TATA-AIG. Moreover, on receipt of the aforementioned email, Confiance realized that GMC/Unison never forwarded reinsurance slips after the due endorsement of reinsurers i.e., BMI and TMK on confirmation from Unison. Confiance remitted the entire payment of USD 1,047,942.45 to Unison.

ब. कान्फियान्स ने तत्काल पुनर्बीमा समर्थन की अपेक्षा करने का अग्रवर्ती निर्णय ले लिया। इस प्रकार करने में कान्फियान्स 10 दिसंबर, 2018 को सफल हुआ तथा यह पुनर्बीमा समर्थन जोखिम के प्रारंभ की तारीख से टाटा-एआईजी को संरक्षण दे सकता था। यूनिसन ने उक्त ई-मेल की प्राप्ति-सूचना दी, परंतु अपने पुष्टीकरण के साथ इसका उत्तर नहीं दिया।

w. Confiance immediately took foreside decision to seek reinsurance support. Confiance achieved to do so on 10th December, 2018 and that this reinsurance support would have protected TATA-AIG from inception date of the risk. Unison acknowledged the email, however, failed to respond to the same with their confirmation.

भ. कान्फियान्स ने आगे यह समझने के लिए पुनर्बीमा पर्ची के बारे में जीएमसी से पूछताछ की कि यूनिसन द्वारा टाटा-एआईजी को अग्रेषित पर्चियों का समर्थन बीएमआई द्वारा किया गया है या नहीं। तथापि, जीएमसी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप, ई-मेल दिनांक 11 दिसंबर, 2018 के द्वारा कान्फियान्स ने भारतीय बीमा व्यवसाय के संबंध में व्यावसायिक समर्थन के लिए अपने क्षेत्रीय परामर्शदाताओं/प्रतिनिधियों के रूप में जीएमसी की नियुक्ति को निरस्त किया/वापस ले लिया।

x. Confiance further enquired with GMC about the reinsurance slip to understand whether the slips forwarded by Unison to TATA-AIG were endorsed by BMI or not. However, GMC failed to provide satisfactory explanation. As a result, vide email dated 11th December, 2018, Confiance cancelled/revoked the appointment of GMC as its Regional Consultants/Representatives for business support on Indian Insurance business.

9. दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को वैयक्तिक सुनवाई में कान्फियान्स द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:
The submission made by Confiance in the personal hearing on 12th April, 2022 is as under:

क. श्री स्टीवेन चेट्टी बीमा उद्योग में पिछले चार दशकों से रहे हैं तथा पूर्व में उन्होंने भारतरी, श्रीराम, टाटा-एआईजी जैसी भारतीय पंजीकृत संस्थाओं के साथ कार्य किया है।

a. Mr. Steven Chetty has been in the insurance industry for last four decades and has previously worked with Indian registered entities such as BharatRe, Shriram, TATA-AIG.

ख. कान्फियान्स ने भारत में बीमा व्यवसाय का विपणन करने के लिए अपने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जीएमसी को नियुक्त किया था।

b. Confiance had appointed GMC as their Indian Representative for marketing insurance business in India.

ग. पूर्व में, जीएमसी के माध्यम से कान्फियान्स ने एनडीआई इंश्योरेंस ब्रोकर, लंदन के साथ श्रीराम और मेसर्स ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. की फ़सल बीमा जोखिम का स्थानन करने का प्रयास किया, परंतु इसमें सफल नहीं हुआ। उक्त प्रस्ताव में भारतीय पुनर्बीमा दलाल भारतरी था।

c. Previously, through GMC, Confiance tried to place a crop insurance risk of Shriram and M/s Oriental Insurance Co. Ltd. with NDI Insurance Broker, London but was not successful. The Indian reinsurance broker in the proposal being BharatRe.

घ. श्री मुकेश रानवान, जीएमसी के निदेशक ने टाटा-एआईजी के फसल बीमा के पुनर्बीमा स्थानन के संबंध में श्री स्टीवेन से संपर्क किया जिसमें श्री मुकेश रानवान ने बताया कि कवर के लिए पुनर्बीमाकर्ता/ओं की व्यवस्था यूनिसन करेगा तथा कान्फियान्स को केवल व्यवसाय को मार्ग से अग्रप्रेषण करना होगा।

d. Mr. Mukesh Ranwan, director of GMC, contacted Mr. Steven with regard to the Reinsurance placement of crop insurance of TATA-AIG wherein Mr. Mukesh Ranwan stated that Unison shall arrange for the reinsurer/s for the cover and that Confiance has to just route the business.

ङ. कान्फियान्स को जीएमसी से सूचना मिली कि यूनिसन ने विदेशी कमीशन चाहा, इसीलिए उक्त बीमा कान्फियान्स के माध्यम से संचालित किया गया।

e. Confiance received communication from GMC that Unison wanted overseas commission that is why the insurance was routed through Confiance.

च. कान्फियान्स 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जीएमसी के साथ भागीदार रहे थे। श्री स्टीवेन चेट्टी को श्री मुकेश रानवान पर विश्वास था, और इसलिए उन्होंने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया था।

f. Confiance had been partners with GMC for more than 15 years. Mr. Steven Chetty had faith on Mr. Mukesh Ranwan and therefore they considered the proposal.

छ. बाजार व्यवहार के अनुसार, कान्फियान्स ने हस्ताक्षरित परंतु अ-बाध्यकारी पुनर्बीमा पर्ची का साझा टाटा-एआईजी के साथ जीएमसी के माध्यम से किया तथा पुनर्बीमा पर्ची की जालसाजी जीएमसी के द्वारा की गई थी। जीएमसी ने श्री स्टीवेन चेट्टी को सूचित किया कि उन्होंने पुनर्बीमा पर्चियों की जालसाजी की। तथापि, कान्फियान्स ने उल्लेख किया कि उक्त पुनर्बीमा पर्चियों की जालसाजी की अपनी स्वीकृति के संबंध में जीएमसी का कोई लिखित संदेश नहीं था।

g. As per the market practice, Confiance shared the signed but non-binding reinsurance slip with TATA-AIG through GMC and that the forging of reinsurance slip was done by GMC. GMC had communicated to Mr. Steven Chetty that they had forged the reinsurance slips. However, Confiance mentioned that there was no written communication of GMC regarding their admittance of forging the reinsurance slips.

ज. जीएमसी ने उक्त पुनर्बीमा पर्चियाँ फिर से बनाईं जो पूर्व में जीएमसी को अन्य जोखिम के लिए भेजी गई थीं, जिनका स्थानन एनडीआई इंश्योरेंस ब्रोकर, लंदन और भारतरी के माध्यम से करना प्रस्तावित था।

h. GMC had reconstructed the reinsurance slips previously sent to GMC for the other risk, which was proposed to be placed through NDI Insurance Broker, London and BharatRe.

झ. जाली पुनर्बीमा पर्चियों का मामला जब उजागर हुआ, उसके बाद श्री स्टीवेन चेट्टी ने प्रयास किया, तथा उक्त जोखिम के लिए पुनर्बीमा समर्थन प्राप्त कर सका। तथापि, यूनिसन के द्वारा यह कहते हुए उसे स्वीकार नहीं किया गया कि टाटा-एआईजी को उक्त प्रस्ताव में विश्वास नहीं है।

i. After the matter of forged reinsurance slips came into light, Mr. Steven Chetty tried and was able to get reinsurance support for the risk, however, it was not accepted by Unison stating that TATA-AIG had no confidence on the proposal.

ञ. कान्फियान्स को बरसों से स्थापित अपने व्यावसायिक संबंध के कारण जीएमसी पर विश्वास था।

j. Confiance had trust on GMC due to their established business relationship over the years.

ट. कान्फियान्स और जीएमसी के बीच विनिमय किया गया अधिकांश संचार 'वाट्सऐप' के माध्यम से था।

k. Most of the communication exchanged between Confiance and GMC was through 'Whatsapp'.

ठ. कान्फियान्स ने जीएमसी की नियुक्ति 11 दिसंबर, 2018 को वापस ली।

l. Confiance revoked the appointment of GMC on 11th December, 2018.

ड. कान्फियान्स व्यवसाय के लेनदेन के दौरान सतर्क नहीं रहा और यूनिसन के साथ संचारण के लिए जीएमसी पर निर्भर रहा।

m. Confiance had not been vigilant in the course of the business transaction and relied on GMC for communication with Unison.

ढ. कान्फियान्स को टाटा-एआईजी से ऐसा कोई संदेश/संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ जिसमें यह माँग की गई हो कि उक्त कवर का स्थानन न करने के कारण घटित उनकी हानियों की भरपाई करने के लिए कान्फियान्स जिम्मेदार है। टाटा-एआईजी द्वारा उठाई गई हानि के लिए उनके द्वारा कान्फियान्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

n. Confiance has not received any communication/reference from TATA-AIG demanding that Confiance is liable to make good their losses due to non-placement of the cover. No action has been taken by TATA-AIG for the loss suffered, against Confiance.

ण. कान्फियान्स ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2020 के अनुसार लिये गये उनके निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

o. Confiance requested the Authority to reconsider its decision made vide order dated 8th January, 2020.

कान्फियान्स के प्रस्तुतीकरणों पर यूनिसन की टिप्पणियाँ:
Unison's comments on Confiance's submissions:

10. कान्फियान्स ने अपने प्रस्तुतीकरणों में यूनिसन और जीएमसी पर कुछ आरोप लगाये हैं। परिणामस्वरूप, सूचना-पत्र दिनांक 4 जनवरी 2023, यूनिसन और जीएमसी को ई-मेल दिनांक 5 जनवरी, 2023 द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में उनकी टिप्पणियाँ माँगते हुए भेजा गया। Confiance made certain allegations on Unison and GMC in its submissions. Consequently, communication letter dated 4th January, 2023 was sent to Unison and GMC seeking their comments on the allegations vide email dated 5th January, 2023.

11. जीएमसी ने दिनांक 4 जनवरी, 2023 के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया।

GMC did not respond to the letter dated 4th January, 2023.

12. यूनिसन ने दिनांक 11 जनवरी, 2023 के अपने पत्र के अनुसार निम्नानुसार उत्तर दियाः
Unison responded vide its letter dated 11th January, 2023 as under:

क. यूनिसन ने कान्फियान्स से कभी निवेदन नहीं किया कि यूनिसन उक्त व्यवसाय कान्फियान्स के माध्यम से करना चाहता है, जबकि वह स्वयं ही बीएमआई और टीएमके से समर्थन प्राप्त कर सकता था। कान्फियान्स के माध्यम से व्यवसाय को संचालित करना यूनिसन के लिए स्पष्ट रूप से असंगत था क्योंकि वह अपने आप ही बीएमआई और टीएमके से समर्थन प्राप्त कर सकता था।

a. Unison never represented to Confiance that Unison wanted to channel the business through Confiance if it could itself obtain support from BMI and TMK. It is plainly illogical for Unison to channel the business through Confiance if it could by itself obtain support from BMI and TMK.

ख. उक्त पुनर्बीमा पर्चियाँ देखने पर वास्तविक ही प्रतीत हुई थीं। आखिर टाटा-एआईजी ने भी उन पर्चियों में कोई भी संदिग्ध बात नहीं पाई थी। टीएमके पर्ची कान्फियान्स को संबोधित थी और यूनिसन को कान्फियान्स के भारत प्रतिनिधि से उपलब्ध कराई गई थी।

b. The reinsurance slips appeared genuine on the face of it. Even TATA-AIG did not find anything suspicious in the slips. The TMK slip was addressed to Confiance and was provided to Unison from Confiance's India representative.

ग. उक्त बीएमआई पर्ची कान्फियान्स के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर थी और वह श्री स्टीवेन चेट्टी के द्वारा हस्ताक्षरित थी। चूँकि यूनिसन ने बीएमआई की हस्ताक्षरित पर्ची कान्फियान्स के पत्र-शीर्ष पर प्राप्त की थी, अतः यह स्वीकार किया गया था कि श्री स्टीवेन उक्त पुनर्बीमा समर्थन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और तदनुसार एआरबी (टीएमके) से समर्थन प्राप्त किया है। उक्त एआरबी पर्ची जो एआरबी द्वारा जारी की गई थी, चूँकि वह लायड्स का दलाल था, अतः कान्फियान्स को संबोधित थी और उसपर टीएमके के हस्ताक्षर और मुहर थे।

c. The BMI slip was on Confiance letter head and signed by Mr. Steven Chetty. Since Unison had received the signed slip of BMI on Confiance letter head, it was accepted that Mr. Steven was arranging for the reinsurance support and had accordingly obtained support from ARB (TMK). The ARB slip, issued by ARB as it is a Lloyd's broker, was addressed to Confiance and had the signature and stamp of TMK.

घ. पुनर्बीमा पर्चियों की सत्यता की गारंटी का प्रश्न इस तथ्य से उठा कि टाटा-एआईजी से प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम यूनिसन द्वारा सीधे कान्फियान्स के खाते में अदा किये गये थे जो पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए एक विधिवत् लाइसेंसप्राप्त संस्था है। व्यवसाय के साधारण दौर में चूँकि भुगतान पुनर्बीमा पर्चियों के लिए एक लाइसेंसप्राप्त संस्था को किये जा रहे थे तथा प्राप्त पुनर्बीमा पर्चियाँ देखने पर जाने-माने पुनर्बीमाकर्ताओं से थीं, अतः यूनिसन और टाटा-एआईजी के लिए उन्हें सही मानते हुए उनपर विश्वास करने के लिए यह पर्याप्त था।

d. The guarantee for the veracity of reinsurance slips arose from the fact that the reinsurance premiums received from TATA-AIG was directly paid by Unison to the account of Confiance which is a duly licensed entity for reinsurance business. In the ordinary course of business, since payments were being made to a licensed entity for the reinsurance slips and the received reinsurance slips were on its face from known reinsurers, it was sufficient for Unison and TATA-AIG to believe them to be correct.

ङ. उक्त पुनर्बीमा प्रीमियमों की धन-वापसी कान्फियान्स के द्वारा की गई थी। कान्फियान्स के लिए उक्त पुनर्बीमा प्रीमियम अपने बैंक खाते में 4 महीने से अधिक समय के लिए रोक रखने में क्या औचित्य था जब उसने उसके आधार पर कोई पुनर्बीमा निष्पादित नहीं किया था।

e. The refund of the reinsurance premiums was made by Confiance. What justification can there be for Confiance to hold the reinsurance premium in its bank account for over 4 months if it had not executed any reinsurance against it.

च. उक्त ई-मेल का पाठ, "हम अपनी पर्ची तैयार करेंगे और टाटा-एआईजी को भेजेंगे", कवर नोट भेजने की दलाल की प्रथा थी। इसके साथ ही, 2 पर्चियाँ भेजते हुए जो कान्फियान्स के प्रतिनिधि के द्वारा 11 जुलाई, 2018 और 12 जुलाई, 2018 को साझा की गई थीं, यूनिसन ने भी आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के अनुसार 17 जुलाई, 2018 को टाटा-एआईजी को कवर नोट भेज दिया था।

f. The text of the email, "We will prepare our slip and send to TATA-AIG", is a Broker's practice of sending cover note. Besides, sending the 2 slips which were shared by Confiance's India representative on 11th July, 2018 and 12th July, 2018, Unison also sent the Cover Note to TATA-AIG on 17th July, 2018 as per IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

छ. कान्फियान्स के एमडी श्री स्टीवेन चेट्टी और कान्फियान्स के भारतीय प्रतिनिधि मिलकर कार्य कर रहे थे तथा इस घटना के संबंध में वे एक दूसरे के कार्यों से अवगत थे। लेनदेन की पूरी अवधि के दौरान, श्री स्टीवेन चेट्टी ने अपने भारतीय प्रतिनिधि श्री मुकेश रानवान को ई-मेल पत्राचार में प्रति के प्रेषण के अंतर्गत रखा। उक्त पुनर्बीमा प्रीमियम का भुगतान यूनिसन के द्वारा कान्फियान्स के बैंक खाते में किया गया था। यदि कान्फियान्स को पता था कि उक्त पर्चियाँ जाली थीं, तो उन्होंने अपने बैंक खाते में उक्त पुनर्बीमा प्रीमियम महीनों तक क्यों रोक रखे थे।

g. Confiance's MD, Mr. Steven Chetty and Confiance's Indian Representatives were acting together and were on know-how of each other's actions on the incident. Throughout the period of transaction, Mr. Steven Chetty kept its Indian representative, Mr. Mukesh Ranwan, in copy in the email correspondences. The reinsurance premium was paid by Unison to the bank account of Confiance. If Confiance was aware that the slips were forged why did they hold the reinsurance premiums in their bank account for months together.

टिप्पणियाँ / Observations:

13. कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, एकमात्र तौर पर जीएमसी के प्रतिनिधित्व पर निर्भर रहने के संबंध में कान्फियान्स का वक्तव्य, यह जानने के बावजूद कि बीएमआई और टीएमके फ़सल बीमा का अंकन नहीं करते, तर्कसंगत नहीं है।
The statement of Confiance, in response to the show cause notice, regarding depending solely on the basis of representation of GMC, despite knowing that BMI and TMK do not write crop insurance is not tenable.

14. कान्फियान्स द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के अनुसार पर्चियों की जालसाजी के संबंध में जीएमसी द्वारा स्वीकार किये जाने पर कान्फियान्स ने न तो प्राधिकरण से, लुबान वित्तीय सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया, और न ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष कोई शिकायत फाइल की।
Confiance neither approached the Authority, Luban Financial Services Authority nor filed any complaint before law enforcement agencies on acceptance by GMC regarding forging of slips, as submitted by Confiance.

15. कान्फियान्स द्वारा उक्त निधियों का विप्रेषण वापस टाटा-एआईजी को यूनिसन के माध्यम से पहली किस्त के विप्रेषण की तारीख अर्थात् 26 सितंबर, 2018 से लगभग दो महीने के बाद 26 नवंबर, 2018 को किया गया। कान्फियान्स उक्त प्रीमियम अपने पास लगातार रखा हुआ था तथा उसने उक्त प्रीमियम का अंतरण संबंधित पुनर्बीमाकर्ताओं को करने अथवा उनको सूचित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इस विषय पर कान्फियान्स के द्वारा कोई भी कारण नहीं दिया गया।
The funds were remitted back by Confiance to TATA-AIG through Unison after approximately 2 months on 26th November, 2018 from the date of remittance of 1st instalment i.e. on 26th September, 2018. Confiance had been keeping the premium with it and did not make any efforts to transfer the premium to the concerned Re-insurers or communicate with them. No reason was provided by Confiance on this matter.

16. कान्फियान्स के इस वक्तव्य के संबंध में कि जीएमसी के द्वारा पर्चियों की जालसाजी के बारे में जीएमसी ने कान्फियान्स को सूचित किया था तथा यूनिसन ने इन पर्चियों को कोई प्रश्न किये बिना अथवा अपने ग्राहकों से सत्यापन किये बिना स्वीकार किया था, यह देखा गया है कि कान्फियान्स ने इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।
With regard to the statement of Confiance that GMC informed Confiance about forging of the slips by GMC and that Unison had accepted these slips from them without any question or verification from their clients, it is noted that Confiance did not submit any documentary evidence in support of the same.

17. कान्फियान्स के इस प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि 837,000 अमेरिकी डालर की राशि कान्फियान्स के खाते में उनकी जानकारी के बिना और क्रेडिट नोट भी जारी किये बिना अंतरित की गई थी, यह अभिलेखबद्ध है कि कान्फियान्स के द्वारा यूनिसन को भेजे गये ई-मेल दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के अनुसार कान्फियान्स के द्वारा एक क्रेडिट नोट जारी किया गया था।

With regard to the submission of Confiance that an amount of USD 837,000 was transferred to Confiance's account without their knowledge and without even issuing the Credit Note, it is on record that a credit note was issued by Confiance, as per email dated 12th October, 2018 sent by Confiance to Unison.

18. कान्फियान्स के इस प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि जीएमसी ने कान्फियान्स को सूचित किया कि बीएमसी और टीएमके से समर्थन प्राप्त करने के लिए यूनिसन समर्थ होगा तथा जीएमसी के द्वारा कान्फियान्स को सूचित किया गया था कि यूनिसन व्यवसाय का संचालन कान्फियान्स के माध्यम से करना चाहता है, कान्फियान्स और जीएमसी के बीच किये गये संदेश-विनिमय के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण कान्फियान्स के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
As regards the submission of Confiance that GMC informed Confiance that Unison would be able to obtain support from BMC and TMK and that it was informed to Confiance by GMC that Unison wanted to channel the business through Confiance, no documentary evidence regarding communication exchanged between Confiance and GMC has been provided by Confiance.

19. कान्फियान्स ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में किये गये दिनांक 18 जनवरी, 2022 के अपने प्रस्तुतीकरणों और दिनांक 12 अप्रैल, 2022 की वैयक्तिक सुनवाई में किये गये अपने प्रस्तुतीकरणों में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिया है जो आईआरडीएआई के आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2020 के अनुसार किये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उनके अनुरोध के समर्थन में पर्याप्त हो।
Confiance, in its submissions dated 18th January, 2022 in response to the show cause notice, and in the personal hearing dated 12th April, 2022, has not provided documentary evidence which is sufficient to support its plea for reconsidering the decision made by IRDAI vide order dated 8th January, 2020.

20. अत: कान्फियान्स ने कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।
Hence, Confiance has failed to satisfactorily respond on the charges mentioned in the Shown Cause Notice.

प्राधिकरण का निर्णय / Decision of the Authority:

21. ऊपर बताये गये तथ्यों तथा घटना-क्रम में कान्फियान्स - विदेशी पुनर्बीमा दलाल और उसके भारतीय प्रतिनिधि, जीएमसी की संबद्धता और भारत में पुनर्बीमा बाजार में उसके निहितार्थ पर विचार करते हुए, यह प्रमाणित हुआ है कि कान्फियान्स द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के अध्यर्पण, जाली पुनर्बीमा पर्ची के निर्गम और पुनर्बीमा प्रीमियम की अनुवर्ती वापसी से एक गंभीर और घोर उल्लंघन किया गया है।
Considering the facts stated above and the involvement of Confiance - foreign reinsurance broker and its Indian representative, GMC in the chain of events and its implication in the reinsurance market in India, it is established that the cession of reinsurance premium, issuance of the forged reinsurance slip and subsequent refund of the reinsurance premium by Confiance constitutes a serious and grave violation.

22. पुनर्बीमा लेनदेन में कान्फियान्स के कार्यों के कारण भारत में टाटा-एआईजी को असुविधा हुई है जिसके कारण उक्त बीमाकर्ता और उसके पालिसीधारकों को संभावित हानि हो सकती थी। यह सुविचारित अभिप्राय है कि कान्फियान्स के कार्य जानबूझकर किये गये थे और हानिकारक थे। समूची घटना के दौरान कान्फियान्स ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और केवल प्रीमियम लौटा दिया जो फिर यह साबित करता है कि कान्फियान्स ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के पास जोखिम का स्थानन न करते हुए समुचित ध्यान नहीं रखा है और सावधानी नहीं बरती है तथा भारतीय पुनर्बीमा दलाल को जाली पुनर्बीमा पर्चियाँ जारी की हैं।

The actions of Confiance in reinsurance transaction caused inconvenience to TATA-AIG in India which could have potential loss to the insurer and its policyholders. It is a considered view that the actions of Confiance were deliberate and harmful. During the entire episode Confiance made no efforts to clarify its stance and simply returned the premium which in turn proves that Confiance has not exercised due care and diligence by not placing the risk with the foreign reinsurers and issued forged reinsurance slips to the Indian Reinsurance Broker.

23. अत: उक्त लेनदेन में कान्फियान्स की भूमिका के संबध में तथ्यों और परिस्थितियों तथा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए:

Therefore, considering the facts and circumstances and gravity of the case on the role of Confiance in the transaction, the Authority in exercise of the powers vested in Section 14 (1) of the IRDA Act, 1999:

क. कान्फियान्स को भारतीय बीमा बाजार से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से, इस आदेश की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए निषिद्ध करता है।

a. Prohibits Confiance from the Indian insurance market, directly or indirectly, in whatsoever manner, for a period of 2 years from the date of this order.

ख. भारतीय बीमाकर्ताओं और विदेशों में स्थित उनके कार्यालयों को, भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशों में स्थित उनके कार्यालयों को, भारत में स्थित विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं और भारतीय बीमा मध्यवर्तियों को निदेश देता है कि वे कान्फियान्स के साथ किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, किसी भी प्रकार से, इस आदेश की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वचनबद्धता न रखें।

b. Directs the Indian insurers and its offices overseas, Indian reinsurers and its offices overseas, foreign reinsurance branches in India and Indian insurance intermediaries not to engage into any business activity with Confiance, directly or indirectly, in whatsoever manner, for a period of 2 years from the date of this order.

(एस. एन. राजेस्वरी / S.N. Rajeswari)
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad
दिनांक / Date: 22 फरवरी 2024 / 22nd February, 2024